सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 354 राँची, सोमवार, 12 सितम्बर, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई, 2022

संख्या-05/नि०नि०/ई०एम०आई०-4012/2021-)498नि०)--झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 (अधिनियम सं०-14/2021) की धारा 20 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ**

(i) ये नियम "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नियमावली, 2022" कहा जाएगा ।

(ii) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश में होगा ।

(iii) ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

(iv) जब तक अभिहित पोर्टल विकसित नहीं कर लिया जाता है, तब तक अधिनियम के प्रावधानों को हस्तचालित प्रक्रिया के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यद्यपि ज्योंही अभिहित पोर्टल काम करना प्रारम्भ कर देता है तो हस्तचालित पोषित विरासती डेटा को अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा ।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों, में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 (अधिनियम सं0-14/2021);

(ii) ''प्रपत्र'' से अभिप्राय है, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र;

(iii) ''धारा'' से अभिप्राय है, उक्त अधिनियम की धारा;

(iv) ''रिक्ति'' से अभिप्राय है, वैसा पद जहां सकल मासिक वेतन या पारिश्रमिक 40000/- (चालीस हजार) से अधिक न हो;

(v) ''त्रैमास'' से अभिप्राय है, जनवरी माह से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक वर्ष के तीन महीने की अवधि

(vi) ''अभिहित पोर्टल'' झारखण्ड रोजगार पोर्टल को शामिल करता है ।

(vii) नियोक्ता स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षित श्रेणी में किसी भी स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन से पहले अधिनियम की धारा 2 (g) में विनिर्दिष्ट निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

(viii) शब्दों की व्याख्या जो परिभाषित नहीं हो;

शब्द या अभिव्यक्ति जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित एवं प्रयुक्त हैं, का मतलब वही होगा जैसा अधिनियम में उन्हें नियत किया गया हो ।

3. **अनिवार्य निबंधनः**

(i) प्रत्येक नियोक्ता (झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के धारा 2(e) की परिभाषा के अनुसार) अभिहित पोर्टल पर आधिकारिक राजपत्र में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 की अधिसूचना के 30 (तीस) दिनों के अंदर स्वयं को निबंधित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी प्राप्ति की समय एवं तिथि विधिवत उल्लेखित करते हुए पावती पत्र जारी करेगा।

(ii) झारखण्ड राज्य की परिसीमा में अवस्थित प्रत्येक नियोक्ता (झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के धारा 2(e) की परिभाषा के अनुसार झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के तीन महीने के अंदर 40,000/(चालीस हजार) से अनधिक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का अभिहित पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करेगा ।

(iii) अभिहित पोर्टल पर निबंधन हेतु इन प्रक्रियाओ में से कोई भी अपनाया जा सकता हैः-

क. **प्राधिकृत अधिकारी द्वाराः**- नियोक्ता निबंधन प्रपत्र (Annexure I) को भरेगा एवं इसे संबंधित जिले के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्राधिकृत अधिकारी Annexure I की प्राप्ति से तीन कार्य दिवसों के अंदर अभिहित पोर्टल पर निबंधन विवरण अपलोड करेगा। निबंधन फार्म Annexure I के रूप में संलग्न है ।

ख. **स्वयं नियोक्ता द्वाराः**- नियोक्ता निबंधन प्रपत्र भरेगा एवं इसे अभिहित पोर्टल पर स्वयं ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा ।

4. **स्थानीय उम्मीदवारों की बहाली**

(i) **नया नियोक्ताः-**

क. अधिनियम के धारा 2(e) में दी गई परिभाषा के अनुसार, नई परियोजना की शुरूआत के पूर्व सूचित करेगा एवं परियोजना के प्रारम्भ के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत संबंधी विवरण को प्रस्तुत करेगा ।

प्राधिकृत अधिकारी अंकित आवश्यक कौशल युक्त मानवबल की उपलब्धता का मूल्यांकन करेगा। कौशल युक्त मानवबल की कमी की स्थिति में, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन प्लान नियोक्ता के परामर्श से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जा सकता है। प्रशिक्षण या कौशल, जैसी भी स्थिति हो, परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व पूरा कर लिया जायेगा।

ख. नियोक्ता या तो सीएसआर फण्ड से या झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसायटी (JSDMS) की मदद से अथवा किसी दूसरी एजेंसी से प्रशिक्षण या कौशलउन्नयन प्रोग्राम प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कर सकता है ।

ग. प्रशिक्षण कैलेन्डर को बहाली केलेण्डर के अनुरूप बनाएगा, ताकि बहाली के समय नियोक्ता (प्रतिष्ठान) को पर्याप्त कौशलयुक्त स्थानीय मानव बल उपलब्ध कराया जा सके ।

(ii) **विद्यमान नियोक्ता**:-

विद्यमान मानव बल, नियोजित स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के सभी विवरणों को प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिनियम के अनुसार यदि मानव बल में कमी हो, तो प्राधिकृत अधिकारी को नियम के प्रारम्भ की तिथि से तीस दिनों के अंदर संलग्न प्रपत्र II के विहित प्रपत्र में न्युनतम 75% स्थानीय नियोजन के मानदण्ड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्ययोजना जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षो से अधिक न हो, की समय सीमा के साथ प्रस्तुत करेगा।

(iii) स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन के क्रम में संबंधित संस्था की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोगों के अभ्यावेदन को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी एवं उसके बाद उस जिले के अन्य स्थानीय उम्मीदवारों को।

(iv) स्थानीय उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 2(g) के अनुरूप पात्रता होने पर, इस अधिनियम के लाभ को प्राप्त करने के लिए स्वयं पोर्टल पर निबंधन करना होगा। स्थानीय उम्मीदवार नीचे वर्णित दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से निबंधन कर सकते हैं।

क. ऑफलाईन तरीका - झारखण्ड के नियोजन कार्यालयों द्वारा

ख. ऑनलाईन तरीका - अभिहित पोर्टल एवं झारखण्ड रोजगार पोर्टल (https://rojgar.jharkhand.gov.in)

5. **छूट** -

(i) उक्त अधिनियम की धारा 4 से छूट का दावा करने के लिए नियोक्ता को ऐसी रीति एवं प्रपत्र जो प्रपत्र III के रूप में संलग्न है, द्वारा प्रमाणित करना होगा कि उसने वांछित कौशल, ज्ञान एवं निपुणता के योग्य स्थानीय उम्मीदवार प्राप्त करने हेतु सभी तरह के उपाय कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण -

क. नियोक्ता को बहाली की जाने वाली रिक्त सीटों की संख्या के कम से कम तीन गुने स्थानीय उम्मीदवारों को बुलाना होगा।

ख. बहाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया कम से कम एक बार पूरी होनी चाहिए।

(ii) अभिहित अधिकारी चार (4) या उससे कम रिक्तियों की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की सीधे अनुशंसा कर सकता है।

(iii) अभिहित अधिकारी चार से अधिक एवं पन्द्रह तक की रिक्तियों की स्थिति में, मामले को जांच समिति को भेजेगा तथा जांच समिति दावे की समीक्षा करेगी एवं यदि यह सत्य पाया जाता है तो प्राधिकृत पदाधिकारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(iv) 15 रिक्तियों से अधिक की स्थिति में अभिहित अधिकारी या तो नियोक्ता द्वारा चयनित उम्मीदवारों को या नियोक्ता के अनुरोध पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक प्रशिक्षण कौशल देने हेतु नियोक्ता को अनुशंसित कर सकता है।

(v) अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित सभी आदेश/सूचना, जैसा भी हो, को उसके पारित होने की तिथि के तीन कार्य दिवसों के अंदर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

6. **नियोक्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करनाः-**

प्रत्येक नियोक्ता प्रपत्रIV के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के उपरांत पंद्रह दिनों के अंदर रिक्तियों एवं नियोजन के बारे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा या अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

7. **अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक पहुंच,सत्यापन करने की शक्ति**-

(i) नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 7 से सम्बंधित कोई भी आदेश तीन कार्य दिवसों के अंदर अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा।

(ii) **अभिलेखः-**

क. प्रत्येक नियोक्ता अधिनियम की धारा 2(g) एवं 4(ii) में यथा परिभाषित के अनुरूप प्रत्येक कर्मचारी की स्थानीय प्रस्थिति संबंधी अभिलेख को संधारित करेगा।

ख. प्राधिकृत अधिकारी को उनकी मांग पर अभिलेखों जैसे (क) स्थानीय प्रस्थिति पंजी (ख) भुगतान पंजी (ग) उपस्थिति पंजी/मस्टर रोल (घ) रिटर्न/प्रतिवेदन और (ड) कोई भी प्रासंगिक पंजी को प्रस्तुत किया जाएगा।

ग. उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुपालन में प्राधिकृत पदाधिकारी सात दिनों की पूर्व सूचना पर नियोक्ता के परिसर का निरीक्षण कर सकता है।

8. **अपीलः**-

(i) अधिनियम की धारा 5 के अधीन अभिहित अधिकारी द्वारा पारित किसीआदेश या अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता प्रपत्र Vमें संलग्न विहित प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड सरकार के कार्यालय को अपील कर सकता है।

(ii) नियम 8(1) के अधीन किये गये प्रत्येक अपील के साथ 1000 रू० का शुल्क संलग्न होगा। शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाईन बैंक चालान के रूप में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के पक्ष में आहरित अवश्य होना चाहिए।

(iii) नियम 8(1) के अधीन अपील की प्राप्ति के उपरांत अपीलीय प्राधिकार अपीलकर्त्ता को सुने जाने के अवसर दिए जाने के बाद साठ दिनों के अंदर अपील को निष्पादित करेगा।

(iv) अपीलीय प्राधिकार ऐसे आदेश को निरस्त, पुष्ट या संशोधित कर सकता है।

(v) अपीलीय प्राधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की प्रक्रिया के द्वारा अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की गुण-अवगुण की समीक्षा करेगा।

9. **शास्ति**:-

(i) शास्ति शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाईन बैंक चालान के रूप में संबंधित जिले के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में आहरित होना चाहिए।

(ii) अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित की जाएगी बशर्ते शास्ति वाली घटना के होने या पता लगने के तीस दिनों के अंदर नियोक्ता को एक सूचना दी गई हो।

10. **राज्य अनुश्रवण समितिः**-

(i) अधिनियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए एक राज्य अनुश्रवण समिति होगी जो निम्नवत् गठित होगी:-

प्रधान सचिव/सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार	-	अध्यक्ष
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य सचिव
श्रमायुक्त, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
निदेशक, उद्योग, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
मुख्य वॉयलर निरीक्षक, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य

(ii) **राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के कार्य**:-

क. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति अधिनियम से संबंधित सभी मामलों के साथ-साथ राज्यस्तर पर सम्पूर्ण अनुपालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी।

ख. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति झारखण्ड सरकार को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

ग. सदस्य सचिव अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक बैठक को संयोजित करेगा।

11. नियमावली में संशोधन की शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित होगी।

12. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड, राँची द्वारा मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2022 में मद संख्या -32 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

प्रपत्र-I

निबंधन प्रपत्र के लिए (नियोजक)

1. नियोजक का नाम -

2. नियोजक का पता एवं टेलीफोन नं0 –

3. नियोजक का ई-मेल आईडी-

4. (क) निबंधन संख्या अधिनियम की धारा 2 (e) में उल्लेखित अनुसार -

   (ख) निबंधन प्राधिकारी

5. कर्मचारियों की संख्या -

   (नियोजक के पे रोल अनुसार)

6. कर्मचारियों की संख्या -
   (बाह्यस्त्रोत से)

7. बाह्यस्त्रोत एजेंसी का नाम एवं पता -
   (सम्पर्क नं0 एवं ईमेल आईड-डी सहित)

8. कर्मचारी/पद विवरणी -
   (प्रत्येक पद के लिए पृपक प्रपत्र का उपयोग किया जाय)

पद	
वेतन	
पदों की संख्या	
स्थायी/अस्थायी	
कार्यस्थल	

9. अन्य विवरणी

स्थान -
दिनांक-

नियोजक या नियोजक द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर(मोहर सहित)

प्रपत्र-II

कार्यबल कीआवश्यकता को नामित अधिकारी को अधिसूचित करने हेतु प्रपत्र

(प्रत्येक प्रकार के पदों हेतु पृथक प्रपत्र प्रयोग में लायी जाये)

1. नियोजक का नाम, पता, टेलीफोन नं0 -

2. स्थापना प्रतिष्ठान का नाम एवं पता-

(फोन नं0 एवं ईमेल आईडी सहित-

3. (क) निबंधन संख्या

(अधिनियम की धारा 2 (e) में उल्लेखित सहित

(ख) निबंधन प्राधिकारी

4. नियोजक का निबंधन संख्या-

(अभिहित पोर्टल के अन्तर्गत)

5. पद की विवरणी-

(a) - भरा जाने वाला दप

(b) -कार्य का व्यौरा

(c) - योग्यता(i) आवश्यक -अनिवार्य/

(ii) वांछित -

(d)-यदि कोई हो) उम्र सीमा

(e) -क्या महिलाएं योग्य हैं

(f) क्या कार्य के लिए कोई प्रशिक्षण/कौशल आवश्यक है

(यदि हाँ तो उल्लेखित करें)

6. अवधि अनुसार भरे जाने वाले पदों की संख्या

अवधि	पदों की संख्या	स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या (75%अधिनियम के अनुसार)
(a)- स्थायी		
(b) -अस्थायी		
(i)3 महीने से कम -		
(ii)3 महीने एवं 1 वर्ष के बीच		
(iii)1 वर्ष के ऊपर		

7. वेतन एवंभत्तेपारिश्रमि/क-

8. कार्य स्थल (शहर जिला का नाम/ग्राम/

-जहाँ यह अवस्थित हो)

9. रिक्ति भरे जाने की संभावित तिथि-

10. अन्य प्रासंगिक सूचना-

स्थान -

दिनांक-

नियोजक या नियोजक द्वारा प्राधिकृत

व्यक्ति का हस्ताक्षर (मोहर सहित)

प्रपत्र -III

अधिनियम की धारा 4 से छूटरियायत हेतु आवेदन प्रपत्र/

(नियमों के धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित)

1. नियोजक का नाम -

2. नियोजक निबंधन संख्या -

(अभिहित पोर्टल के अंतर्गत)

3. पद का नाम जिसके लिए छूट की आवश्यकता-

(अधिनियम की धारा 4 से)

4. उपरोक्त पद हेतु रिक्तियों की संख्या -

5. पारिश्रमिक-वेतन/

6. योग्यता -

7. छूट हेतु कारण -

8. नियोजक द्वारा स्थानीय अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु किए गए प्रयास -

पद	अभ्यर्थी का नाम	वांछित कौशल	निबंधन संख्या

9. क्या नियोजक स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रयासरत हैं-

10. कोई अन्य विशेष कारण-

स्थान -

दिनांक-

नियोजक या नियोजक द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर (मोहर सहित)

प्रपत्र-IV

(नियमों की धारा 8 के अंतर्गत निर्धारित)

नियोजक द्वारा झारखण्ड रोजगार पोर्टल पर अपलोड किया जाने वाला त्रैमासिक प्रतिवेदन, त्रैमासिक ....

1. नियोजक का नाम एवं पता -
टेलीफोन नं0 या मोबाईल नं0 -
ई-ईडीमेल आ-
निबंधन संख्या - (अभिहित पोर्टल के अंतर्गत)

2. कार्यों/ क्रियाकलापों की प्रकृति
(क)- नियोजन

पिछले त्रैमासिक के अंतिम कार्यदिवस को कर्मचारियों की संख्या	प्रतिवेदन त्रैमासिक के अंतिम कार्यदिवस को कर्मचारियों की संख्या

(a)पुरूष
(b)महिला
(c)कुल

उपरोक्त में से निम्नांकित -

स्थायी	बाहरी
कुशलअतिकुशल/अकुशल/अर्द्ध कुशल/	कुशलअतिकुशल/अकुशल/अर्द्ध कुशल/

(a)पुरूष
(b)महिला
(c)कुल

(ख) नियोजन में हुए किसी भी कमी या वृद्धि का मुख्य कारण अंकित करें-

3. कार्यबल की कमी/आवश्यकता (यदि कोई हो)-

पेशापद का नाम/	रिक्त पदों की संख्या	आवश्यक योग्यता	आवश्यक अनुभव	आवश्यक कौशल प्रशिक्षण

नियोजक या नियोजक द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर (मोहर सहित)

सेवा में,
प्राधिकृत पदाधिकारी
....
....

प्रपत्र -V

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण कार्यालय में अपील हेतु प्रपत्र

(नियमों के धारा 11 के अंतर्गत निर्धारित(

सेवा में,

अपिलीय पदाधिकारी

....

....

1. नियोजक का नाम -

2. नियोजक निबंधन संख्या -
(अभिहित पोर्टल के अंतर्गत)

3. अपील का कारण -

4. अभिहित पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी का/आदेश संख्या
एवं तिथि जिसके लिए अपील प्रारंभ की गयी है -

5. क्या शुल्क जमा किया गया है (नहीं/हाँ)-

6. यदि हाँ, बैंक का नाम, डिमांड ड्रफ्ट नं0 एवं तिथि -

स्थान -
दिनांक-

नियोजक या नियोजक द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर (मोहर सहित)

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

ह./-

सरकार के सचिव।

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 20 of the Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Act, 2021 (Act No.-14 of 2021), The Governor of the State of Jharkhand hereby makes the following Rules:

1. ***Short title and commencement:***

(i) These Rules shall be called The Jharkhand State Employment of Local Candidate in Private Sector Rules, 2022.

(ii) These Rules shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

(iv) As no such designated portal has been developed as of yet, provisions of the Act shall be implemented through manual process. However, as soon as the designated portal starts functioning, the manually maintained legacy data shall be uploaded in the designated portal.

2. ***Definitions:***

In these Rules, unless the context otherwise requires: -

(i) "**Act**" means the Jharkhand State Employment of Local Candidate in Private Sector Act, 2021 (Act No.- 14 of 2021).

(ii) **"Form"** means a form appended to these Rules.

(iii) **"Section"** means a section of the said Act.

(iv) **"Vacancy"** means the Posts where the gross monthly salary or wages is not more than Rs. 40,000/- (Forty thousand Rupees).

(v) **"Quarter"** means a period of 3 Calendar months commencing from January of every year.

(vi) **“Designated Portal”** includes the Jharkhand Rojgar Portal.

(vii) The Employer shall be responsible to ascertain domicile requirement as prescribed under section 2(g) of The Act before providing the Employment to any local Candidate in the 75% reserved for local Candidates.

(viii) Interpretation *of words not defined:*

Words & Expressions not defined in these Rules but defined and used in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. ***Compulsory registration***

(i) Every employer (as per definition in section 2(e) of Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Act, 2021) shall register themself on the designated Portal within 30 days of notification of the Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Rules, 2022 in official Gazette. The Authorized Officer will issue an acknowledgement duly mentioning the time and date of the receipt.

(ii) Every employer (as per definition in section 2(e) of Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Act, 2021) within the boundary of the State of Jharkhand, shall register each employee receiving gross monthly salary, wages, or remuneration not more than Rs. 40,000/- (Forty thousand Rupees) on the designated Portal within three months of notification of the Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Rules, 2022in official gazette.

(iii) For registration on the designated Portal any of these processes may be followed: -

a. **Through Authorized officer: -** Employer shall fill and submit the registration form (Annexure –I) to the Authorized officer of the concerned district. Authorized officer shall upload the registration detail on the designated Portal within three working days from receiving of Annexure-I. Registration form is appended as Annexure–I.

b. **Themselves: -** Employer shall fill and submit the registration form online through the designated Portal by themselves.

4. ***Recruitment of Local Candidates***

(i) **New Employer: -**

a. as per definition in section 2(e) of Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Act, 2021, before commencement of the new project, shall inform and submit the details of requirement of number of employee with the skill set required categorically indicating number of employee falling under the said act to the Authorized Officer before 30 days of the beginning of the project.

Authorized Officer shall assess the availability of skilled manpower vis-à-vis the requirement indicated. In the event of shortage of skilled manpower, a training and skill upgradation plan may be prepared by the Authorized Officer in consultation with the Employer. The training or skill upgradation as the case may be, shall be done before the commencement of the project.

b. Either from the CSR Fund or with the help of Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS) or any other agency, may conduct training or skill upgradation program under the supervision of the Authorized Officer.

c. Will align the training calendar with the recruitment calendar of the Employer so that sufficient skilled local manpower is made available to the Employer (Establishment) at the time of recruitment.

(ii) **Existing Employer: -**

Shall furnish all the details of existing manpower, number of local candidates employed, shortfall as per the said Act if any, in the prescribed form to the Authorized Officer appended in Annexure-II within 30 days from the date of commencement of these Rules along with a proposed action plan to comply with the provisions of the Act to meet the minimum 75% local employment criterion, including timelines which shall not be more than 3 years from the date of commencement of these Rules.

(iii) During the process of employment of local candidates,priority will be given to the representation of the displaced due to the establishment of the concerned institution and after that to the local candidates of the concerned district.

(iv) Local Candidates, having eligibility according to section 2(g) of the Act shall have to register themselves on the designated Portal to avail the benefit under this Act. Local Candidates may register on the designated Portal through any of the two ways as mentioned below: -

a. Offline Mode: - Through Employment Offices in Jharkhand.

b. Online Mode:- Through the designated portal and Jharkhand Rojgar Portal (https://rojgar.jharkhand.gov.in).

5. ***Exemptions: -***

(i) To Claim Exemption from section 4 of the said Act, the employer has to certify that he or she has applied all the means to find out suitable local candidate of desired skill, knowledge and proficiency in the manner and forms attached as Annexure-III.

Explanation: - (a)The Employer has to call the local candidates at least three times of the number of vacant seats for which recruitment was required.

(b) The entire process of recruitment should have completed atleast once.

(ii) The Designated Officer may, in case of less than or equal to 4 vacancies, directly recommend the Authorized Officer to issue No Objection Certificate.

(iii) The Designated Officer in case of more than 4,and up to 15 vacancies shall refer the matter to the Enquiry Committee and the Enquiry Committee will review the claim and if found correct, the Authorized Officer shall issue No Objection Certificate.

(iv) The Designated Officer in case of more than 15 vacancies may recommend the employer to provide requisite skill training either to the candidates selected by the employer or on request of employer to the candidates selected by the Authorized Officer.

(v) All the Orders/Notice as the case may be,made by either the Designated Officer or the Authorized Officer should be uploaded on theDesignated Portal by the Authorized Officer within 3 working days of passing of such Order/Notice as the case may be.

6. ***Employer to furnish report: -***

Every employer shall furnish a quarterly report about vacancies & employment to the Authorized Officer or upload on the Designated Portal within 15 days after the end of each quarter every year in prescribed form appended in as Annexure-IV.

7. ***Power to access, verify records and documents: -***

(i) The Quarterly report furnished by the Employer shall be verified as per section (7) of the Act by the Authorized Officer. Any order pertaining to section (7) of this Act shall be uploaded on the Designated Portal within 3 working days.

(ii) **Records: -**

a. Every Employer shall maintain a record of Local status of each employee as defined in Sections 2(g) and 4(ii) of the Act.

b. The records viz., (a) Local status record register; (b) Pay register; (c) Attendance register/Muster roll; (d) Returns/Reports and (e) any relevant register shall be produced to the Authorized Officer on demand.

c. To comply with section 7 of the said Act the authorized officer may inspect the premises of the employer by giving 7 day’s prior notice.

8. ***Appeal: -***

(i) Any employer aggrieved by an order passed by the Designated Officer under Section 5 of the Act or by the Authorized Officer under Section 7 of the Act, may appeal within sixty days to the office of Director, Employment & Training, Government of Jharkhand in prescribed form appended in Annexure-V.

(ii) Every appeal preferred under rule 8(1)above shall be accompanied by fees of Rs. 1000. The fees must be in the form of a demand draft or online bank challan, drawn in favour of Director, Employment and Training, of any scheduled bank.

(iii) After the receipt of appeal under rule 8(1) above, the Appellate Authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal within sixty days.

(iv) The Appellate authority may rescind, confirm, or modify such order.

(v) The Appellate authority shall evaluate the merit of the order passed by the Designated Officer or Authorized Officer through the process of principle of natural justice.

9. ***Penalties: -***

(i)The penalty fee must be in the form of a demand draft or online bank challan, drawn in favour of the Authorized Officer ofthe concerned district from any scheduled bank.

(ii)Penalties under this Act shall be imposed, provided a notice has been served to the employer within 30days of the occurrence or finding of such incident attracting penalties.

10. ***State Monitoring Committee: -***

(i) To monitor the implementation of the Act there shall be a state-level Monitoring Committee constituted as under: -

Principal Secretary/Secretary, Department of Labour, Employment, Training and Skill Development, Govt. of Jharkhand	– Chairman
Director, Employment &Training, Government of Jharkhand	– Member Secretary
Labour Commissioner, Government of Jharkhand	–Member
Director, Industries, Government of Jharkhand	–Member
Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand	–Member
Chief Inspector of Boiler, Government of Jharkhand	– Member

(ii) Function of State Level Monitoring Committee

a. State Level Monitoring Committee shall deal with all the issues related to the Act including overall implementation, monitoring and evaluation at the State Level.

b. State Level Monitoring Committee shall furnish quarterly report to the Government of Jharkhand.

c. The Member Secretary will convene the Quarterly meetings of the Monitoring Committee.

11. ***The powers of amendment in the Rules will be vested in the State Government.***

Annexure – I

Registration Form (For the Employer)

1. Name of the Employer: -

2. Address &Telephone No. of the Employer: -

3. E-mail Id of Employer: -

4. (a) Registration No. (as mentioned in section 2 (e) of the Act): -

   (b) Registering Authority: -

5. No. of Employee: -
   (In the payroll of the Employer)

6. No. of Employee –
   (Through outsourcing)

7. Name & Address of the Outsourced Agency: -
   (along with Contact No. & E-mailID)

8. Employee/Designation/Post details of the Employer –
   (Separate form to be used for each Position)

Designation	
Salary	
No. of post	
Permanent / Temporary	
Place of work	

9. Other details: -

Place:
Date:

Signature of the Employer
Or his authorized person
(with stamp/seal)

Annexure – II

Form for Notification of Manpower requirement to the Designated Officer

(Separate form to be used for each type of Post)

---

1. Name and address, Telephone Number of the Employer: -

2. Name and address of the Establishment (With phone number and e-mail id): -

3. (a) Registration No. (as mentioned in section 2 (e) of the Act): -
   (b) Registering Authority: -

4. Registration No. of the Employer (Under Jharkhand Rojgar Portal): -

5. Details of the Post: -
   a) Designation ofthe post (s) to be filled
   b) Description of the duties
   c) Qualification required (i)Essential:
   (ii)Desirable:
   d) Age Limits, if any
   e) Whether women are eligible
   f) Whether any training/skill required for the job (if so, please furnish the details):
6. Number of posts to be filled duration wise: -

Duration	Number of posts	Number reserved for local candidates (75%) as per Act
(a) Permanent		
(b) Temporary		
(i) Less than 3 months		
(ii) Between 3 months & year		
(iii) Likely continued beyond one year.		

7. Pay and Allowances/Remuneration:
8. Place of Work (Name of the town/village and district in which it is situated):
9. Probable date by which the vacancy will be filled:
10. Any other relevant information:

Place:

Date:

Signature of the Employer
Or his authorized person
(with stamp/seal)

Annexure – III

Application form for exemption from Section 4 of the Act.
(Prescribed under Rule 5 of these Rules)
---

1. Name of the Employer: -

2. Registration No. of the Employer: -
   (Under Jharkhand Rojgar Portal)

3. Name of the Post Need to be exempted: -
   (from section 4 of the Act)

4. No. of the Vacancy of the aforesaid post: -

5. Remuneration: -

6. Qualification: -

7. Reason for the Exemption: -

8. Attempt made by the Employer to recruit local Candidates: -

Post	Name of Candidate	Desired skill	Registration No.

9. Whether Employer Trying to Train the Local Candidates: -

10. Any other specific reason: -

Place:
Date:

Signature of the Employer
Or his authorized person
(with stamp/seal)

Annexure – IV

(Prescribed under Rule6 of these Rules)

Quarterly Return to be submitted by the Employer on Jharkhand Rojgar Portal for the quarterending __________

Name and address of the Employer: -

Telephone Number or Mobile Number: -

E-mail id: -

Registration No. (Under Jharkhand Rojgar Portal): -

Nature of Activity

1 (a) Employment:

	Number of employees working On the last working day of the Previous Quarter	Number of employees working On the last working day of Quarter under report
Men		
Women		
Total		

Out of the above employees the following -----

	Local	Non-Local
	Skilled/Semi-skilled/unskilled/highly skilled	Skilled/Semi-skilled/unskilled/ highly skilled
Men		
Women		
Total		

(b) Please indicate the main reasons for any increase or decrease in employment during the quarter:

3. Manpower shortages, if any.

Name of the occupation or Designation of post	Number of vacant posts	Qualification required	Experience required	Skill training required

Signature of the Employer
or his authorized person
(with stamp/seal)

To,
The Authorized Officer
____
____

Annexure – V

Application Form for an appeal to the office of Director, Employment& Training

(Prescribed under Rule 8 of these Rules)

To,

The Appellate Authority

____

____

1. Name of the Employer: -

2. Registration No. of the Employer: -
   (Under Jharkhand Rojgar Portal)

3. Reason for Appeal: -

4. Designated Officer/Authorized Officer Order No.
   & date for which Appeal is initiated: -

5. Whether fees submitted (Yes/No): -

6. If Yes, then Bank Name, Demand Draft No. &date: -

Place:

Date:

Signature of the Employer
Or his authorized person
(with stamp/seal)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 354 - 50